मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 7 फैजाबाद रोड, लखनऊ

दूरभाष / फैक्स नम्बर 0522–2740483
0522–2740067
0522–2740414

अल्पकालिक निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या 04 आर0के0वी0वाई0 / तकनीकी शाखा / 2013–14 / दिनांक 26.12.13

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से निदेशक मत्स्य विभाग उ0प्र0, द्वरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 2623 / 12–3–2013–100(41) / 2008 कृषि अनुभाग–3, दिनांक–10.10.2013 द्वार एरेटर कय हेतु पंजीकृत, अनुभवी, एवं दक्ष आपूर्तिकर्ताओं से निम्न विवरण के अनुसार मुहरबंद निविदायें निदेशालय स्तर पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदाये न्यूनतम दर एवं आपूर्तिकर्ता निर्धारित करने हेतु आमंत्रित की जा रही है। आपूर्ति आदेश एवं भुगतान जनपदीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निविदा 2013–14 में निर्गत धनराशि हेतु ही मान्य होगी।

क0सं0	मद / मानक	मात्रा	निविदा प्रपत्र बिकी की तिथि	बयाने की राशि (रू0 में)	निविदा जमा करने की तिथि समय व स्थान	निविदा खोलने की तिथि समय व स्थान
01	पैडल व्हील एरेटर	100	27.12.2013 से 10.01.2014 तक	रू0 0.80 लाख	दिनांक– 10.01.2014 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक	दिनांक– 10.01.2014 पूर्वान्ह 12:00 बजे

मुख्य शर्ते

1. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते मत्स्य निदेशालय, 7 फैजाबाद रोड लखनऊ से दिनांक 27.12.2013 से दिनांक 10.01.2014 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र रू0 500 / – के बैक ड्राफ्ट निदेशक मत्स्य पदनाम से लखनऊ में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. वांछित बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का बैक ड्राफ्ट जो निदेशक मत्स्य, लखनऊ के पदनाम से लखनऊ में देय निविदा के तकनीकी भाग के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। बगैर बयाने की धनराशि के निविदा स्वीकार्य नही होगी।
3. निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 10.01.2014 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक मत्स्य निदेशालय, 7 फैजाबाद रोड, लखनऊ में टेण्डर बाक्स में डाला जा सकता है, उसी दिन

पूर्वान्ह 12:00 बजे निविदायें उपस्थित इच्छुक निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस होगा।

4. निविदायें दो अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफाओं में रखकर एक लिफाफे पर तकनीकी भाग तथा दूसरे पर वित्तीय भाग अंकित कर दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे पर रखकर मुहरबंद कर निर्धारित तिथि एवं समय पर टेण्डर बाक्स में डालना आवश्यक है। लिफाफे के ऊपर किस कार्य हेतु निविदा डाली जा रही है उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5. सफल निविदादाताओं को प्रस्तावित आपूर्ति यथा मांग के अनुरूप एरेटर के मूल्य का 5 प्रतिशत जमानत राशि एफ0डी0आर0 के रूप में निदेशक पदनाम से बंधक कराते हुए निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

6. स्टाम्प शुल्क के बारे में यदि कोई देयता भविष्य में बनती है तो उसकी देयता सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता की होगी।

7. आमंत्रित निविदाओं के साथ आपुर्तित किये जाने वाले सामग्रियों/उपकरणों के मानक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है, निर्धारित मानक विवरण आमंत्रित निविदाओं का अंग हैं। सामाग्रियों/उपकरणों की आवश्यकतानुसार निर्धारित मानकों में संशोधन का अधिकार निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ में निहित होगा।

8. अपूर्ण निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

9. निविदा की अन्य शर्तें एवं जानकारी मत्स्य निदेशालय से निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक मत्स्य उ0प्र0 को होगा। निदेशक मत्स्य उ0प्र0 का निर्णय सभी को मान्य होगा।

11. मांग के अनुसार एरेटर की मात्रा घट–बढ सकती है।

12. किसी भी विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

निदेशक मत्स्य, उ0प्र0
लखनऊ